अज अदालत भु अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

A 1/12

आवेदन संख्या 17/2015

प्रार्थी :–

रामप्रसाद साबू पुत्र कन्हैयालाल साबू जाति साबू माहेष्वरी उम्र 83 वर्श निवासी नावां तहसील नावां जिला नागौर,राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी,तहसीलदार कुचामनसिटी

2.अशोक कुमार पुत्र सूरजमल जाति जैन निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर,राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व अभिजेख में खातेदारी रेकर्ड बनाने में हुई लिपिकीय त्रुटिवश प्रविष्टि को सुधारने बाबत । अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन एवं श्री प्रवीण शर्मा

दिनांक 5/5/15

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम त्रिसिंझा के गत खसरा नम्बर 16 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा की कृषि भूमि की खातेदारी सम्वत 2039 से 2042 की जमाबन्दी के अनुसार रामप्रसाद साबू एवं अन्य के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही है । प्रार्थी की उक्त गत खसरा नम्बर 16 मे 2बीघा भूमि दर्ज रही है । सम्वत 2046 के करीब इस क्षेत्र में द्वितिय भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान उक्त गत खसरा नम्ब्र 16 के नवीन खसरा नम्बर 17,18,19,20,22,23 व 150/19 बनाये गये जिनका रकबा 2.82 हैक्टर दर्ज किया गया । जबकि पुराना खसरा नम्बर 16 का रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा था,जिसका हैक्टर प्रणाली अनुसार रकबा 2.93 हैक्टर दर्ज होना चाहिए था । उक्त गत खसरा नम्बर 16 के अलग अलग खाते भू–प्रबन्ध के दौरान दर्ज हुये है । नवीन खसरा नम्बर 17 रकबा 0.21 हैक्टर का खातेदार प्रार्थी को सहवन से दर्ज कर दिया गया है,जबकि प्रार्थी की भूमि 2बीघा भूमि भू–प्रबन्ध से पहले दर्ज चली आ रही है तथा मौके पर आज भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे काश्त में दो बीघा भूमि है । जिसका रकबा 0.32 हैक्टर होता है । उक्त भूमि मे से प्रार्थी द्वारा 0.20 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान कर दी गई तथा शेष 0.12 हैक्टर पर प्रार्थी काबिज चला आ रहा है । प्रार्थी द्वारा सुनवाई दौरान प्रार्थना–पत्र में आंशिक संशोधन किये जाने हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया गया । संशोधित प्रार्थना–पत्र अनुसार गत खसरा नम्बर 16के पश्चिमी तरफ स्थित खसरा का रकबा बढ़ा दिया गया है । गत खसरा नम्बर 16 के जो नये 7 खसरा नम्बर अंकित हुये है उनका कुल रकबा भी 0.11 हैक्टर कम दर्ज हुआ है जो मौके पर नये खसरा नम्बर 17 का ही रकबा है । प्रार्थी की इस्तदुआ है कि नये खसरा नम्ब 17 का रकबा 0.21 हैक्टर के स्थान पर 0.32 हैक्टर दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे ।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली उपलब्ध है । अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

A 2/13

पत्रावली मे विद्वान अधिवक्ताओ की एक पक्षीय बहस सुनी गई । दौराने बहस प्रार्थी वकील ने बताया कि ग्राम त्रिसिंझा के गत खसरा नम्बर 16 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा था तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबा कम करते हुए प्रार्थी की खातेदारी कब्जा सुदा भूमि 2 बीघा के स्थान पर 0.21 हैक्टर दर्ज कर दी गयी,जबकि प्रार्थी के हिस्से की भूमि 0.32 हैक्टर दर्ज होनी चाहिये थी । उक्त कम हुये रकबे 0.11 हैक्टर पश्चिमी तरफ स्थित खसरा गत खसरा 14 में सम्मिलित कर दी गयी है । जिसके नये खसरा नम्बर 16 अंकित हुये ,जिसका रकबा 1.94 हैक्टर दर्ज कर दिया गया है । अतः खसरा नम्बर 17 का रकबा 0.21 के स्थान पर 0.32 दर्ज करने का कथन किया है ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन किया गया । तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट अनुसार मौजा त्रिसिंझा के गत खसरा नम्बर 16 जिसका रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा क्षेत्रफल था,तदनुसार 2.93 हैक्टर होता है । भू–प्रबन्ध के दौरान नये खसरा नम्बर 17 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 20 रकबा 1.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 22 रकबा 0.11 हैक्टर ,खसरा नम्बर 23 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 150/19 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता 7 रकबा 2.82 हैक्टर दर्ज किये गये । गत खसरा नम्बर 16 का रकबा का 2.93 हैक्टर (18बीघा02बिस्वा) था, तथा नवीन खसरा नम्बरान में रकबा 2.82 हैक्टर करने से 0.11 हैक्टर भूमि कम अंकित की गई है । गत खसरा नम्बर 16 के पश्चिमी तरफ के नये खसरा नम्बर 16 बने है जिसका रकबा 1.94 हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 16 के पुराने खसरा नम्बर 14 था जिसका रकबा 6बीघा 18 बिस्वा अर्थात 1.12 हैक्टर था, इस प्रकार गत खसरा नम्बर 16 के पश्चिमी साईड के खसरा नम्बर का रकबा 0.82 हैक्टर बढ़ा है । उक्त तथ्यो को प्रार्थी ने स्वीकार करते हुये रकबा बढ़ाये जाने का निवेदन किया है । प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल एवं गत खसरा नम्बर एवं वर्तमान खसरा नम्बर का नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त खसरा नम्बरो के रकबे मे कमी बेशी हुयी है जिसके कारण प्रार्थी रामप्रसाद साबू पुत्र कन्हैयाला साबू जाति माहेश्वरी निवासी नावां के भू–प्रबन्ध के दौरान रकबा 0.32 के स्थान पर 0.21 हैक्टर ही दर्ज हुआ है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में प्रतीत होता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार काबिल होने से निम्न प्रकार आदेश जारी किये जाते है ।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

ग्राम त्रिसिंझा के नवीन खसरा नम्बर 17 का रकबा 0.21 हैक्टर है, वर्तमान में नवीन खसरा नम्बर 16 का रकबा 1.94 हैक्टर है जो 0.82 हैक्टर ज्यादा है इसलिये खसरा नम्बर 16 के रकबा 1.94 मे से रकबा 0.11 हैक्टर कम कर रकबा 1.83 हैक्टर किया जाता है,खसरा नम्बर 17 का रकबा 0.21 हैक्टर की जगह 0.32 हैक्टर किया जाता है, राजस्व रेकार्ड मे इसी माफिक इन्द्राज एवं दुरूस्ति करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो ।

यह आदेश आज दिनांक 5/1/15 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)